संख्या-45 /2023/2339/58-1-2023/54-2099/18/2023

प्रेषक,

सचिव,
बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग लखनऊ :: दिनांक 24 अगस्त, 2023

विषय :- प्रदेश की बाल विकास परियोजनाओं में संचालित आंगनवाड़ी/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों पर अनुपूरक पुष्टाहार योजनान्तर्गत पोषाहार वितरण में बायोमैट्रिक (जीवमितिक) प्रणाली लागू किये जाने हेतु ई-पॉस मशीनों की स्थापना एवं संचालन के सम्बंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा प्रदेश की बाल विकास परियोजनाओं में संचालित आंगनवाड़ी/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों पर अनुपूरक पुष्टाहार योजनान्तर्गत 06 माह से 06 वर्ष के बच्चों अति कुपोषित सहित, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा 14 से 18 वर्ष आयु की किशोरी बालिकाओं (केवल आकांक्षात्मक जनपदों हेतु) को पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। अत: प्रदेश की बाल विकास परियोजनाओं में संचालित आंगनवाड़ी/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों पर अनुपूरक पुष्टाहार योजनान्तर्गत पोषाहार वितरण को और सुदृढ़ तथा पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से उक्त वितरण में बायोमैट्रिक्स प्रणाली लागू किये जाने हेतु ई-पॉस मशीनों की स्थापना एवं संचालन का निर्णय लिया गया है।

2- भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-511, दिनांक 17.08.2015 के बिन्दु संख्या-7 (6) के अन्तर्गत खाद्य एवं रसद विभाग में ई-पॉस संचालन हेतु निम्नलिखित में 01 प्रतिमान चयन किये जाने की व्यवस्था की गयी है:-

(क) प्वाइंट ऑफ सेल यंत्र का क्रय, संस्थापन और रख-रखाव।

(ख) प्वाइंट ऑफ सेल यंत्र का क्रय, संस्थापन और रख-रखाव एक प्रणाली समाकलक (सिस्टम इण्टीग्रेटर) का चयन।

(ग) उचित दर दुकान का डीलर, प्वाइंट आफ सेल यंत्र का क्रय, संस्थापन और रख-रखाव।

3- प्रदेश में खाद्य एवं रसद विभाग के अन्तर्गत एफ0पी0एस0 आटोमेशन के लिये आर0एफ0पी0 तैयार कराने, बिड कराने एवं प्रणाली की मानीटरिंग व बिलिंग का कार्य यूपीडेस्को द्वारा कार्यदायी संस्था के रूप में सम्पादित किया जा रहा है। उक्त मॉडल के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

अनुसार ई–पॉस मशीनों की व्यवस्था के सम्बन्ध में यूपीडेस्को के माध्यम से सिस्टम इन्टीग्रेटर संस्थाओं से अनुबन्ध सम्पादित हुये हैं।

4- ई–पॉस मशीनों की स्थापना कार्य हेतु बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में तकनीकी विशेषज्ञ एवं मैनपावर उपलब्ध नहीं हैं। खाद्य एवं रसद विभाग में ई–पॉस मशीनों की स्थापना एवं संचालन हेतु नवीनतम तकनीकों के प्रयोग यथा–आइरिश आइडेन्टिफिकेशन, जी0पी0एस0 लोकेशन ट्रैकर, फेस आइडेन्टिफिकेशन रीडर आदि को सम्मिलित करते हुये आर0एफ0पी0 तैयार कराने का कार्य उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीडेस्को) द्वारा किया गया है। यूपीडेस्को द्वारा खाद्य एवं रसद विभाग में ई–पॉस मशीनों की स्थापना व संचालन का कार्य गुणवत्तापूर्वक तरीके से किया जा रहा है तथा इस कार्य हेतु उनके पास पर्याप्त अनुभव है। इसके दृष्टिगत 06 माह से 06 वर्ष के बच्चों अति कुपोषित सहित, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा 14 से 18 वर्ष आयु की किशोरी बालिकाओं (केवल आकांक्षात्मक जनपदों हेतु) को प्रदेश के ऑगनवाड़ियों में उपलब्ध कराये जा रहे पोषाहार के वितरण हेतु ई-पॉस मशीनों की स्थापना व संचालन हेतु ई-टेण्डरिंग के माध्यम से आर0एफ0पी0 तैयार किये जाने व इन मशीनों की स्थापना व संचालन हेतु उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीडेस्को) को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए ई–पॉस मशीनों की स्थापना हेतु टेण्डर कार्यदायी संस्था के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु खाद्य एवं रसद विभाग की भॉति ही यूपीडेस्को को सिस्टम इन्डीकेटर्स को दी जाने वाली धनराशि पर 2.25 प्रतिशत सेन्टेज का भुगतान किया जायेगा।

5- ई-पॉस मशीन की बिड प्रक्रिया में मल्टीपल कम्पोनेन्ट सम्मिलित होने के कारण इसे उत्तर प्रदेश शासन के ई-प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल https://etender.up.nic.in के माध्यम से किये जाने हेतु प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीडेस्को) की अध्यक्षता में क्रय समिति का गठन किया जायेगा। उक्त क्रय समिति में प्रशासकीय विभाग के सदस्य के रूप में संयुक्त निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार को सदस्य नामित किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा समिति में यथावश्यकता अन्य विभागीय अधिकारियों एवं वित्त विभाग के प्रतिनिधि को सदस्य नामित किया जायेगा।

6- चयनित होने वाले सिस्टम इन्टीग्रेटर संस्थाओं को ई–पॉस मशीन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, आइरिश आइडेन्टिफिकेशन, फील्ड लेवल मैनपावर, तकनीकी मैनपावर, मोबाइल सिम उपलब्ध कराने होंगे। साथ ही इन सभी का 03 वर्षो तक रख–रखाव भी करना होगा। यह परियोजना प्रस्तर-2 में दिये गये मॉडल्स के अन्तर्गत सिस्टम इंटीग्रेटर आधारित BOO (Build, Own, Operate) मॉडल पर संचालित किया जाना है। उक्त पर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

आने वाले व्ययभार के सम्बन्ध में यूपीडेस्को से दरें प्राप्त होने के उपरान्त वित्तीय उपाशय का आंकलन सम्भव होगा।

7- ई–पॉस मशीन की बिड प्रक्रिया में विभिन्न कम्पोनेन्ट यथा–हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर आदि सम्मिलित होंगे, जिसमें एक से अधिक सिस्टम इंटीग्रेटर्स का भी चयन संभावित है। ई–पॉस मशीन की बिड प्रक्रिया में मल्टीपल कम्पोनेन्ट सम्मिलित होने के कारण इसे जेम पोर्टल के माध्यम से किया जाना संभव नहीं होगा। अत: प्रदेश की बाल विकास परियोजनाओं में आपूर्ति किये जा रहे पोषाहार वितरण के सत्यापन के लिये ई–पॉस मशीनों की स्थापना व संचालन हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा आर0एफ0पी0 तैयार करके प्री–बिड आमंत्रित की जायेगी। प्री–बिड में प्राप्त बिडर्स के सुझावों के आलोक में आर0एफ0पी0को अन्तिम रूप दिया जायेगा। यूपीडेस्को द्वारा तैयार आर0एफ0पी0 को राज्य सरकार के वित्तीय एवं प्रशासनिक हितों को दृष्टिगत रखते हुये मूल्यांकन एवं विश्लेषण करते हुये स्पष्ट संस्तुति सहित शासन को अग्रेसित करने हेतु निम्नवत् समिति गठित की जाती है :-

(a) निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ - अध्यक्ष

(b) अपर निदेशक (वित्त), बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ -सदस्य

(c) संयुक्त सचिव/ उप सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग - सदस्य

(d) वित्त विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव से अनिम्न) - सदस्य

(e) आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि - सदस्य

(f) उप निदेशक (निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार द्वारा नामित) - सदस्य सचिव

लाभार्थियों की संख्या के आधार पर ई-पॉस मशीन के माध्यम से किये जाने वाले ट्रांजेक्शन्स की संख्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय द्वारा यूपीडेस्को को उपलब्ध करायी जायेगी।

8- 14 से 18 वर्ष आयु की किशोरी बालिकायें तथा गर्भवती एवं धात्री महिलायें स्वयं बायोमीट्रिक ऑथेन्टिकेशन हेतु सक्षम हैं, अत: उनके द्वारा आधार बेस्ड सत्यापन करते हुये पोषाहार प्राप्त किया जायेगा। 06 माह से 06 वर्ष के बच्चों के स्वयं के द्वारा पोषाहार न प्राप्त करते हुये उनके अभिभावकों द्वारा ही व्यवहारिक रूप से पोषाहार प्राप्त किया जाता है। अत: व्यवहारिक दृष्टिकोण को दृष्टिगत रखते हुये उन बच्चों के माता अथवा पिता के आधार बेस्ड बायोमीट्रिक ऑथेन्टिकेशन की व्यवस्था स्थापित की जायेगी। इस सम्बन्ध में आदेश जारी होने के उपरान्त विस्तृत दिशा-निर्देश निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार द्वारा उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीडेस्को) को एक सप्ताह में उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

9- अत: अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(अनामिका सिंह)
सचिव।

संख्या-2339(1) /58-1-2023, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीडेस्को)।
6. अपर निदेशक (वित्त), बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ।
7. संयुक्त सचिव/ उप सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।